संख्या- 24/2019/893/बयालिस-2019-12(बजट)/2018

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 18 अप्रैल, 2019**

विषय :- वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में छात्रावास भवन के मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 48/नि0स्पो0का0 गोरखपुर पत्रा0/2018-19, दिनांक 12.04.2019 एवं शासनादेश संख्या- 959/बयालिस-2018-12(बजट)/2018, दिनांक 31 मई, 2018 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में छात्रावास भवन के मरम्मत का कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 797.01 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत धनराशिरू0 639.55 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि निर्गत किये जाने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष- 2018-19 के बजट में मद संख्या- 61-वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखूपर-6109-छात्रावास की मरम्मत में प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र) अवमुक्त करने के उपरान्त वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में छात्रावास भवन के मरम्मत कार्य हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि रू0 339.55 लाख (रू0 तीर करोड़ उन्तालीस लाख पचपन हजार मात्र) अर्थात् सम्पूर्ण धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करनेकी श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 रू0 339.55 लाख (रू0 तीर करोड़ उन्तालीस लाख पचपन हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2019-20 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(3)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- लेबर सेस/जी0एस0टी0 के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(6)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के प्रस्तर- 7 में उल्लिखित परियोजनाओं में टाइम ओवर रन/कास्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ओवर रन को नियंत्रित करने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा वित्त (आरू-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1/375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 2 के शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में अंकित शर्तों एवं निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(8)- शासनादेश संख्या- 959/बयालिस-2018-12(बजट)/2018, दिनांक 31 मई, 2018 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(9)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10)- प्रायोजना आगणन में प्रस्तावित विभिन्न कार्यमदों की मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(11)- प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(13)- प्रायोजनान्तर्गत छात्रावास भवनों के मरम्मत का कार्य प्रस्तावित किया गया है। अत: उक्त कार्य हेतु निदेशक, खेल के स्तर पर एक समिति का गठन किया जाय, जिसके देखरेख में उक्त कार्यों को सम्पादित कराया जाया।

(14)- प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे :- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना किया जायेगा।

2- उक्त मद में होले वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2019-20 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-61-वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर-6109-छात्रावास की मरम्मत-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या- 893(1)/बयालिस-2018-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
(5)- प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पर्टस कालेज, गोरखपुर।
(6)- सचिव, प्रबन्ध समिति, स्पोर्टस कालेजेज सोसाईटी, लखनऊ।
(7)- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8)- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) लखनऊ।
(9)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1
(10)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(11)- नियोजन अनुभाग- 4
(12)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।